IN THE COURT OF SUB-JUDGE, SHAHPUR PATORI, SAMASTIPUR

T.S-81/16

INDRAWATI DEVI & OTHERS.....PLAINTIFFS

Vs.

MOST. ANNAPURNA DEVI & OTHERS.....DEFENDANTS

26.11.19 उभय पक्षों की ओर से हाजरी दी गई। पुकार पर उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। वादी के आवेदन दिनांक– 25.06.19 अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. पर उभय पक्षों को सुना गया।

वादी का कथन है कि वाद लंबन के दौरान प्रतिवादी प्रथम पक्ष द्वारा वादपत्र में मद संख्या–2 की भूमि पर जबरन निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है, जिसे रोकने के लिए अनुमंडलीय दण्डाधिकारी के यहां विपक्षीगण के विरुद्ध 144 द. प्र. सं. की कार्रवाई प्रारम्भ की गई है। उक्त तथ्य को वादपत्र में संशोधन के द्वारा लाया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी की ओर से अपने प्रत्युत्तर दिनांक– 17.09.19 के द्वारा उक्त आवेदन का विरोध किया गया है।

अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद अपनी प्रारम्भिक अवस्था में है। प्रस्तावित संशोधन औपचारिक प्रकृति का है, जिससे वाद की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वादी का आवेदन शपथ–पत्र से समर्थित है। अतः न्यायहित में 300/– रु0 खर्च पर स्वीकृत किया जाता है। तदनुसार वादपत्र में संशोधन करें।

दिनांक–10.12.19 वास्ते सुनवाई आवेदन अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. पर।

अवर न्यायाधीश